पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का लोकन किया गया। साथ ही वकलाय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष की पैरवी करते हुये दी गई लीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जायल से प्त मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2022 का अवलोकन किया। नजरी नक्शा के अनुसार राजस्थान श्तकारी अधिनियम की धारा 251ए की मंशा के अनुसार प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकतम दूरी जहां से हो वहां से मांग सकता है। परन्तु तहसीलदार जायल कि रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता सबसे नजदीक तम दूरी का नहीं है। प्रार्थी कि खातेदारी खेत खसरा नम्बर 776 के नजदीकतम दूरी खसरा नम्बर 777 व 772 की मध्य सीव / सीमा से पड़ती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता स्वीकृत अथवा घोषित किये का प्रावधान है। प्रकरण में वर्णित तथ्यों, अप्रार्थी के जवाब/आपत्ति एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टयां ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशा को धुमिल करने की नियत प्रस्तुत किया जाना एवं स्वच्छ हाथों (Clean han) से नहीं आना प्रदर्शित करता है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी खेत खसरा नं. 776 ग्राम–तरनाऊ तहसील–जायल में कृषि कार्य हेतु आवागमन व आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के ग्राम–तरनाऊ तहसील जायल खेत खसरा नं. 775 में से माफिक नजरी नक्शा अनुसार 15 फीट चौड़ाई का रास्ता के संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 251क के मुख्यतः बिन्दू प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं कटाणी रास्ते से सबसे कम दूरी व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को साबित नहीं कर पाने तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner